पत्रांक 10/व 1 –76/2018 (अंश) 17 07/05/2026

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा: वित्त विभाग।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 कोटि के मदरसों में SPQEM (Scheme for Providing Quality Education in Madarsas) के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को निर्धारित मानदेय का भुगतान हेतु 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) की स्वीकृति एवं तत्काल 33,00,000/–(तैंतीस लाख रूपये) की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 कोटि के मदरसों में SPQEM (Scheme for Providing Quality Education in Madarsas) के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को निर्धारित मानदेय का भुगतान हेतु 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) की सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल 33,00,000/–(तैंतीस लाख रूपये) की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि एवं विमुक्त राशि 33,00,000/–(तैंतीस लाख रूपये) का विकलन माँग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–110–अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष–0112–मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्य संसाधन से प्रतिपूर्ति, विषय शीर्ष–0112–31–04 सहायक अनुदान–वेतन, विपत्र कोड–21–2202.02.110.0112 के अन्तर्गत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संगत शीर्ष में कुल 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

3. स्वीकृत राशि के विरूद्ध तत्काल 33,00,000/–(तैंतीस लाख रूपये) का आवंटन विहित प्रक्रिया अन्तर्गत CFMS द्वारा संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार संबंधित जिलों को किया जायेगा। जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC-42 पर विपत्र तैयार कर जिलों के कोषागार से राशि निकासी करते हुए संबंधित विज्ञान शिक्षकों को उनके बैंक खाते में मानदेय राशि अंतरित किया जायेगा। स्वीकृत राशि के वितरण की सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना की होगी। आवंटित राशि का लेखा–जोखा जिला कार्यालय द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा।

4. स्वीकृत राशि से कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को विभागीय संकल्प संख्या–781 दिनांक 21.03.2025 में निहित प्रावधान के तहत निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

5. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

6. जिलों द्वारा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा विधिवत संचालित मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी को मानदेय भुगतान किया गया है।

7. स्वीकृत एवं आवंटित राशि के विरूद्ध प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करा लिया जायेगा।

8. वित्त विभागीय पत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 3 एवं 5 (ख) (ii) के आलोक में राशि स्वीकृत की जा रही है।

9. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/व 1–76/2018 (अंश) के टिप्पणी पृ0 249/टि0 पर प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन 10/व 1–76/2018 (अंश) के टिप्पणी पृ0 251/टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक : 10/व 1–76/2018 (अंश).................. पटना, दिनांक....................................

<u>प्रतिलिपि</u> : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक : 10/व 1–76/2018 (अंश)......47........ पटना, दिनांक ..07/05/2026...

<u>प्रतिलिपि</u> : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी कोषागार पदाधिकारी/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/बजट शाखा, शिक्षा विभाग/योजना शाखा, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, उपयोगिता कोषांग, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी–05/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/सभी संबंधितों एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.5.26
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में **SPQEM** के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत विज्ञान शिक्षकों के निर्धारित मानदेय का भुगतान हेतु स्वीकृत राशि 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) के विरूद्ध तत्काल विमुक्त राशि 33,00,000/–(तैंतीस लाख रूपये) का आवंटन निम्नवत् रूप से जिलों को किये जाने वाली विवरणी:–

क्र०सं०	जिला	आवंटित राशि
1	अररिया	₹ 3,72,000
2	औरंगाबाद	₹ 48,000
3	बेगूसराय	₹ 48,000
4	भोजपुर	₹ 1,56,000
5	बक्सर	₹ 24,000
6	दरभंगा	₹ 2,76,000
7	कटिहार	₹ 7,44,000
8	किशनगंज	₹ 4,08,000
9	मधुबनी	₹ 2,52,000
10	मुजफ्फरपुर	₹ 2,16,000
11	नालंदा	₹ 24,000
12	पूर्णिया	₹ 2,64,000
13	रोहतास	₹ 60,000
14	सहरसा	₹ 24,000
15	समस्तीपुर	₹ 12,000
16	सीतामढ़ी	₹ 60,000
17	सिवान	₹ 1,92,000
18	सुपौल	₹ 24,000
19	वैशाली	₹ 36,000
20	पश्चिम चम्पारण	₹ 60,000
कुल		**₹ 33,00,000**

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।